कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत श्रीगंगानगर

क्रंमाकःएफ20/लेखा/5966 दिंनाकः–20-2-19

निलामी सूचना सख्या 03/2018–19

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस वृत के अधीनस्थ अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, रायसिहनगर के नकारा एक चौपहिया वाहन की एक मुश्त निलामी दिनांक 06.03.2019 (बुधवार) को प्रातः 11.00 बजे जल संसाधन वृत, श्री गंगानगर कार्यालय परिसर मे की जानी है अतः संबधित व्यक्ति/फर्म/एंजेसी से निलामी मे भाग लेने के लिए निलामी सूचना आमंत्रित की जाती है। वाहन का ब्योरा निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	वाहन का प्रकार	वाहन का नम्बर	वाहन का मोडल (वर्ष)	चैसीज नम्बर	अनुमानीत राशि	वाहन जंहा खड़ा है स्थान
1	2	3	4	6	7	8
2.	जीप	RRF 7332	1988	CJ500D4DK30807	45000	अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत श्री गंगानगर के निवास स्थान पर।

उक्त निलामी सूचना की विस्तृत विवरण एवं शर्ते इत्यादि www.sppp.rajasthan.gov.in विभागीय वेबसाईड एवं www.waterresourcs.rajasthan.gov.in एवं dipr.rajasthan.gov.in साईड पर देखी जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता
जल संसाधन वृत
श्री गंगानगर।

नीलामी की शर्ते

1. वाहन जहा है, जैसी स्थिति मे है, निलाम किया जावेगा। निलाम किये जाने वाले वाहन को अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत श्री गंगानगर के निवास स्थान कोठी आई बी 01 पर देखा जा सकता है वाहन के सम्बन्ध मे श्री विजय कुमार कनिष्ठ अभियन्ता मो. नम्बर 7014941980 से सम्पर्क किया जा सकता है। अतः बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि बोली लगाने से पूर्व वाहन का पूर्ण परिक्षण कर ले तथा वाहन विवरण के बारे मे अपने आप को संतुष्ठ करने के उपरान्त ही बोली लगाये।
2. निलामी मे बोली लगाने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता को नीलामी लगाने से पुर्व अमानत राशि रू. 5000/– जमा करानी होगी।
3. निलामी मे सफल बोलीदाता को वाहन के विक्रय पर नियमानुसार देय समस्त प्रकार के राजकीय कर, फीस, एवं जीएसटी आदि बोली राशि के अतिरिक्त जमा कराने होंगे।
4. वाहन के पंजीयन एवं हस्तान्तरण आदि कराने के समस्त व्यय एवं औपचारिकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी बोली छुड़ाने वाले की होगी। वाहन निलामी के पश्चात अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, रायसिहनगर द्वारा उच्चतम बोलीदाता को रिलीज मीमों जारी किया जावेगा, जिसके आधार पर सम्बन्धित पंजीयन कार्यालय से वाहन का स्थानान्तरण/ पंजीयन कराने की समस्त जिम्मदारी बोलीदाता की होगी। इस विभाग का उत्तरदायित्व नही होगा।
5. अंतिम (सफल) बोलीदाता को अन्मितम बोली की 1/4 राशि तुरन्त जमा करानी होगी एवं 3/4 राशि तथा नियमानुसार देय समस्त राजकीय कर की राशि नकद/बैंक ड्राफट/पे–आर्डर/चालान के द्वारा सात दिवस मे अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड रायसिहनगर मे जमा करानी होगी अन्यथा बोली निरस्त कर जमा 1/4 राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. इस निलामी की विज्ञप्ति में वाहन के पंजीयन/ इंजीन न./ चैसिस नम्बर के प्रकाशन मे सावधानी बरती गई है। फिर भी उक्त वाहनो के इंजीन नम्बर/ चैसिस नम्बर वही मान्य होंगे जो उक्त वाहन पर अंकित है। जिसका सत्यापन बोलीदाता स्वंय कर लेवें।
7. किसी भी बोली को स्वीकार करने, अथवा अस्वीकार करने का अन्तिम अधिकार विभाग/ निलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
8. निलामी प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्त विवरण, निलामी की शर्त एवं वाहन की सूची का अवलोकन अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत श्री गगानगर के नोटिस बोर्ड पर कार्यालय समय मे किया जा सकता है।
9. सक्षम अधिकारीगण से उच्चतम बोली की स्वीकृति (पुष्टि) आने पर ही बोली को अन्तिम माना जावेगा। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन की उच्चतम बोली की पुष्टि नही की जाती है तो वह बोली निरस्त समझी जायेगी तथा उच्चतम बोलीदाता की जमा राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी। निलामी राशि की अन्तिम रूप से पुष्टि होने पर शेष राशि 3/4 (75प्रतिशत) सात दिवस मे अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड रायसिहनगर को जमा कराना अनिवार्य है।
10. वाहन को निलामी पश्चात उसमे किसी नुकसान या कमी के लिए विभाग उत्तरदायी नही होगा।
11. सफल बोलीदाता को वाहन छुड़ाने से पूर्व सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी स्वयं की पहचान और स्थायी निवास स्थान के पत्ते के सत्यापन हेतु मय पासपोर्ट साईज फोटो के समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
12. किसी भी विवाद पर न्यायिक क्षेत्राधिकार श्री गंगानगर रहेगा।

अधीक्षण अभियन्ता
जल संसाधन वृत
श्री गंगानगर।